न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी संजु मीणा)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 25/2019

1. रीता देवी आयु.... वर्ष पत्नि श्री रघुवीर जाति रावत निवासी गोवलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीया

बनाम

1. सूरजमल पुत्र श्री हरजी
2. भाणू पुत्र श्री हरजी
3. उगमा पुत्र श्री हरजी
4. गणपत पुत्र श्री हरजी
5. सांवरा पुत्र श्री सुरजमल
6. नारायण पुत्र श्री भाणू
7. नोरत पुत्र श्री उगमा समस्त जाति रावत निवासीगण गोवलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीया ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवदेन किया हैं कि ग्राम गोवलिया पटवार हल्का खेडी भू अभिलेख क्षेत्र छछून्दरा तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित विवादित आराजी खसरा नं. 1663 रकबा 0.05, 1685 रकबा 0.10, 1695 रकबा 0.10 किता 3 कुल रकबा 0.25 हैं0 भूमियां प्रार्थीया की स्वअर्जित खातेदारी काश्त की भूमि हैं। जिस पर प्रार्थीया अनवरत रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त भूमियों पर प्रार्थीया के अतिरिक्त किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं हैं। लेकिन उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 नाजायज व अवैध रूप से प्रार्थीया को उसके कब्जे काश्त, स्वामित्व आधिपत्य, उपयोग, उपभोग की आराजी से बेदखल करने पर उतारू हो रहें हैं एवं प्रार्थीया की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा प्रार्थीया की उक्त आराजीयात को खूर्द-बुर्द करना चाहते हैं अतः प्रार्थीया को न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीण को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया । अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मवीर बामनिया ने बकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम**(प्रतिवाद पत्र)** पेश कर बताया कि विवादित आराजीयात प्रार्थीया एवं प्रतिवादीगण के पारिवारीक शामिलाती भूमि का ही हिस्सा हैं। जिसे कई वर्षो पूर्व पारिवारीक समझौते अनुसार विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण के हिस्से में काबिज काश्त चली आ रही हैं। जिस हेतु अपंजीकृत परिवारिक इकरारनामा एवं राजीनामा प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात पर पारिवारिक समझौते अनुसार स्वयं का स्वामित्व होना बताया जाकर काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता प्रार्थीयागण द्वारा प्रतिवाद पत्र के प्रत्युत्तर में जवाब पत्र प्रस्तुत कर कथन किए कि वादित आराजीयात प्रार्थीया की तन्हा रूप से खातेदारी आराजीयात हैं जिसके साक्ष्य के रूप में राजस्व कॉर्ड ग्राम गोवलिया जमाबंदी संवत 2073-2076 पत्रावली में संलग्न हैं। जिस पर प्रार्थीया के अतिरिक्त सी भी अन्य दीगर व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार एवं सरोकार नहीं होना स्पष्ट है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया द्वारा काली पत्नि श्री कैलाश रावत से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद गई हैं एवं खरीद दिवस से ही प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं आधिपत्य में अनवरत चली आ रही है। या के अधिवक्ता ने बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजीयात खरीद की गई हैं तो उक्त संबंध

Scanned with CamScanner

में दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रतिवाद पत्र में किए गए कथन सिद्ध करें। साथ ही कथन किए कि 34 वर्ष पूर्व किए गए इकरारनामे से प्रार्थीया का किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद पत्र को झूठा एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने पर अस्वीकार किए जाने का अनुरोध किया

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रतिवाद पत्र के विरोध में जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात पर गत 34 वर्षो से कब्जा काश्त होने के कथन किए एवं प्रतिवाद पत्र अनुसार कथन दोहराते हुए प्रतिवाद पत्र स्वीकार किए जाने का पुरजोर अनुरोध करते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार योग्य बताया।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्षान सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने एवं अप्रार्थीगण का विवादित आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं होने संबंधी प्रार्थना पत्र, जवाब प्रतिवाद पत्र अनुसार कथन दोहराते हुए स्वयं की खरीदशुदा खातेदारी आराजीयात पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित ठहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का पुरजोर अनुरोध किया।

वितर्क में अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने कथन किये कि विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण को पारिवारिक समझौते के फलस्वरूप 34 वर्ष पूर्व क्रय पश्चात् प्राप्त हुई हैं एवं तत्समय से ही अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त निर्विवाद चला आ रहा हैं। प्रार्थीया का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जावे।

मैनें उभयपक्षान की बहस पर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम गोवलिया पटवार हल्का खेडी भूअभिलेख निरीक्षक छछून्दरा स्थित विवादित आराजीयात खसरा नं. 1663 रकबा 0.05, 1685 रकबा 0.10, 1695 रकबा 0.10 किता 3 कुल रकबा 0.25 हैं0 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता सं. 269 अनुसार प्रार्थीया की तन्हा खातेदारी की भूमि होना स्पष्ट प्रतीत होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:आदेश:–

प्रार्थीया द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जो ग्राम गोवलिया पटवार हल्का खेडी भूअभिलेख निरीक्षक छछून्दरा स्थित विवादित आराजीयात खसरा नं. 1663 रकबा 0.05, 1685 रकबा 0.10, 1695 रकबा 0.10 किता 3 कुल रकबा 0.25 हैं0 बाबत् लाया गया हैं उसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 के विरूद्ध इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक कायम रखेंगें। साथ ही प्रार्थीया की कब्जा काश्त, स्वामित्व व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी एवं बाधा उत्पन्न नहीं करेंगें एवं न ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से बाधा उत्पन्न करवायेंगें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 06.02.2020 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)
भिनाय

Scanned with CamScanner